84/2020 हरिनारायण बनाम केलाश

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05/02/24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष हाजिर। साक्ष्य वादी की जिरह प्रतिवादी द्वारा नहीं किये जाने से जिरह बन्द की जाती है। वादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। साक्ष्य वादी बन्द की जाती है। ~~वादी~~ वादपत्र पर अन्तिम बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 08/02/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	08/2/24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई है। यह वाद वादी ने बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती पेश किया है। वादी ने विवादित खसरा नम्बर 995 रकबा 0.38 हे०, ख० नं० 996 रकबा 0.01 हे० ख० नं० 997 रकबा 2.18 हे० ख० नं० 998 ख० नं० 0.01 हे० ख० नं० 999 रकबा 0.69 हे० कुल किता 5 रकबा 3.27 हे० में वादी के (हस्ताक्षर)	

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		हिस्सा को 1/8 से दुरुस्त कर हिस्सा 1/6 दर्ज करने एवं उपर्युक्त भूमि में हिस्सा 1/6 का काश्तकार घोषित करने का अनुतोष चाहा है। विवादित भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है जो उसे विरासत में अपने पिता सुंधा पुत्र श्योनाथ की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरण संख्या 1860 दिनांक 28.09.2004 के द्वारा प्राप्त हुई है। ~~लेकिन~~ नामान्तरण संख्या 1860 की सत्यापित प्रतिलिपि वादी ने साक्ष्य स्वरूप पेश की है नामान्तरण संख्या 1860 की पुश्त पर मृतक सुंधा पुत्र श्योनाथ का सजरा भी उल्लेखित किया है, जिसमें स्पष्ट है कि सुंधा पुत्र श्योनाथ के 6: वारिस थे, उनमें से एक वारिस

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		बाबूलाल पुत्र झुंथा की मृत्यु पूर्व में होने के कारण उसके तीन वारिसो का नाम उल्लेखित किया गया है।	
		वादी ने स्वंय शपथ पत्र पर बयान किया है कि झूंथा पुत्र श्योनाथ के प्रथम श्रेणी के वारिस -	
		(1) वादी स्वंय - हरिनारायण पुत्र झूंथा (2) प्रतिवादी संख्या - (4) गोपाल लाल पुत्र झूंथा (3) प्रतिवादी संख्या (5) अन्नी देवी पत्नी झूंथा (4) प्रतिवादी संख्या (6) भौरीलाल पुत्र झूंथा (5) प्रतिवादी संख्या (7) रामप्रताप पुत्र झूंथा (6) प्रतिवादी संख्या (1) ता (3) के पिता बाबूलाल पुत्र झूंथा रहे हैं।	
		यह दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से बखूबी साबित है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या (4) लगा. (7) झूंथा के प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण विवादित आराजीयात पर झूंथा की मृत्यु के उपरान्त 1/6 - 1/6 हिस्से के काश्तकार हो गये है। ~~एवं~~ वहीं प्रतिवादी	
		(26)	

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	संख्या ① ता० ③ के पिता बाबूलाल पुत्र सुखा विवादित आराजीयत के 1/6 का हिस्सेदार होने से प्रतिवादी संख्या ① ता ③ विवादित आराजीयत मे 1/18-1/18 हिस्से के खातेदार हो गए है।	
	अत: विवादित आराजीयत नम्बर 995 रकबा 0.3800 है०, खसरा नं० 996 रकबा 0.01 है० खसरा नं० 997 2.18 है०, खसरा 998 रकबा 0.01 है०, ख० नं० 999 रकबा 0.69 है० कुल किता 5 कुल रकबा 3.27 है० ग्राम बस्सी तह० बस्सी जयपुर मे० वादी एवं प्रतिवादी संख्या ④ ता ⑦ को क्रमश: 1/6-1/6 हिस्से का काश्तकार एवं प्रतिवादी संख्या ① ता ③ को 1/18-1/18 का का काश्तकार घोषित किया जाता है।	
	इसके अनुरूप जमाबंदी मे इन्द्राज हेतु तहसलदार तहसील बस्सी को तहरीर जारी हो	
	(हस्ताक्षर)	

फर्द अहकाम

हरिनारायण बनाम केसरी

ालय   SDO Bagaha

ा   84/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। [signature] यह आदेश आज दिनांक 08/02/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature]	